125

प्रकरण नेशनल लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त भोला एवं मुनेन्द्र प्रोडक्शन वारंट के पालन में जेल गोहद से पेश उनकी ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव।

शेष अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव।

फरियादी सुनील भटेले स्वयं उपस्थित।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री हदेश शुक्ला एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।


अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर रांबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान मे रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

अभियुक्त मुनेन्द्र एवं भोला के प्रोडक्शन वारंट पर नोट लगाया जावे कि अभियुक्तगण को इस प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है, यदि अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो तत्काल छोडा जावे।

प्रकरण में जब्तशुद्धा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।



3,20